

भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों की खास विशेषताएं*

श्यामला गोपीनाथ

बैंक ऑफ थाईलैंड के सहायक गवर्नर, सुश्री नित्या पिबुलरत्नांगित, फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्री अप्पिया, फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सचिव श्री लांबा, भारत और एशिया/मध्यपूर्व से आए प्रतिनिधिगण, बहनो और भाइयो। एसीआइ से संबद्ध फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 18 वें वार्षिक सम्मेलन का ऐतिहासिक शहर बैंकाक में उद्घाटन करना मेरे लिए हर्ष का विषय है। मैं समझती हूँ कि फिंम्डा ने 2003 में बैंकाक में इसी प्रकार का एक सम्मेलन आयोजित किया था जिसका मेरे वरिष्ठ सहयोगी डा. राकेश मोहन द्वारा उद्घाटन किया गया था। कई शताब्दी पहले से भारत और थाईलैंड के घनिष्ठ संबंध हैं, जो वर्तमान समय में भी सांस्कृतिक और आर्थिक दोनों रूप में जारी हैं। पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध बढ़े हैं तथा कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिससे संबंध और बढ़े हैं।

एशिया क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाएं विश्व अर्थव्यवस्था में विकास के नए इंजन के रूप में उभर रही हैं और मुझे विश्वास है कि इस वर्ष की सभा में कई वक्ता सम्मेलन के विषय पर विचार व्यक्त करेंगे। आज मैं, बैंकिंग क्षेत्र और वित्तीय बाजार तथा कतिपय की गई और विचारित कार्रवाइयों को शामिल करते हुए नब्बे के दशक के प्रारंभ से शुरू हुई सुधार की अवधि से भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालना चाहूंगी। भारत द्वारा किए गए वित्तीय क्षेत्र के सुधारों पर अनेकों मूल्यांकन किए गए हैं, उनमें से कुछ में गति संबंधी आलोचना की गयी है पर परिणामों को सभी के द्वारा स्वीकारा गया है। उन परिस्थितियों को समझना और मूल्यांकित करना महत्वपूर्ण है जिनके अंतर्गत अविघटनात्मक तरीके से परिवर्तन लाने की जरूरत के साथ दी गयी प्रणालीगत अनिवार्यताओं का संतुलन करके समूची प्रक्रिया को मार्गनिर्देशित किया गया था।

* 6 अप्रैल 2007 को बैंकाक में 18 वीं वार्षिक नेशनल कांफ्रेंस ऑफ फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अवसर पर रिजर्व बैंक की उपगवर्नर श्रीमती श्यामला गोपीनाथ द्वारा दिया गया उद्घाटन भाषण।

भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधार 1990 के दशक के प्रारंभ में संरचनात्मक समायोजनों और आर्थिक सुधार कार्यक्रमों के भाग के रूप में किए गए जिनका वित्तीय संस्थाओं, विशेष रूप से बैंकों की कार्यप्रणाली पर गहरा प्रभाव पड़ा है। वित्तीय क्षेत्र के सुधारों का मुख्य उद्देश्य संसाधनों की आबंटनात्मक कार्यक्षमता में सुधार लाना, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना और वित्तीय प्रणाली की सुदृढ़ता तथा कार्यक्षमता बढ़ाकर इसके आत्म विश्वास को बनाए रखना था। इसी तरह, वित्तीय बाजारों के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार भी किए गए थे ताकि बैंकिंग क्षेत्र प्रभावी तरीके से अपनी मध्यस्थता की भूमिका को निभा सके। सुधार उपायों को आपसी तौर पर सुदृढ़ करने की दृष्टि से, सुधार प्रक्रिया विश्लेषण और विभिन्न समितियों/कार्य दलों द्वारा की गई सिफारिशों तथा विशेषज्ञों और बाजार सहभागियों के साथ गहन विचार-विमर्श के माध्यम से लाई गई।

I. वित्तीय क्षेत्र में सुधारों की प्रमुख विशेषताएं

- ये सुधार न तो किसी बैंकिंग संकट से प्रेरित थे और न ही किसी बाहरी सहायता पैकेज का परिणाम थे। वे एशियन वित्तीय संकट के पहले 1990 के दशक के प्रारंभ में अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों और अन्य देशों द्वारा संकट रोकने के लिए वित्तीय क्षेत्र की महत्ता को मान्यता देने के काफी पहले किए गए थे।
- ये सुधार लिखतों और उद्देश्यों के अनुसार सावधानीपूर्वक क्रमबद्ध किए गए थे। विवेकपूर्ण मानदंड और पर्यवेक्षी सुदृढ़ता सुधार चक्र के प्रारंभ में शुरू किए गए, इसके पश्चात् ब्याज दर का अविनिमयन और धीरे-धीरे वैधानिक पूर्वक्रयों को कम किया गया। वैधानिक और लेखांकन मानदंडों के और जटिल मुद्दों की ओर बाद में ध्यान दिया गया जबकि सुधार के मूल सिद्धांत पहले ही कार्य

कर रहे थे। हाल ही में, “योग्य और समुचित” स्वामी, निदेशकों और बैंकों के वरिष्ठ प्रबंधकों के माध्यम से उत्तम अभिशासन सुनिश्चित करने के लिए विनियामक ढाँचे पर भी ध्यान दिया गया। विविधकृत स्वामित्व को तरजीह दी गई।

- जबकि पहली पीढ़ी के सुधारों का फोकस एक कार्यक्षम, उत्पादक और लाभकारी वित्तीय सेवा उद्योग तैयार करना था, वित्तीय क्षेत्र के सुधारों का दूसरा दौर, जो 1990 के दशक की दूसरी छमाही से शुरू हुआ, वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ करने और संरचनात्मक सुधारों की शुरुआत करने के उद्देश्य से प्रेरित था।
- अधिकाधिक वैश्वीकृत वातावरण में वित्तीय प्रणाली को तैयार करने की आवश्यकता और घरेलू तथा बाहरी आघातों को देखते हुए वित्तीय स्थिरता को बढ़ाना सुधारों की कार्यसूची में सर्वोपरि था। भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ते वैश्वीकरण को देखते हुए, सुधार प्रक्रिया में विवेकपूर्ण मानदंड, बैंकिंग पर्यवेक्षण, आंकड़ा प्रेषण और कंपनी अभिशासन जैसे महत्व के कई क्षेत्रों में सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय व्यवहारों को अपनाने की प्रवृत्ति दिखाई।
- बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र के नए बैंकों को लाइसेंस दिए गए। लाइसेंस देने की पहली आवश्यकता यह थी कि ये बैंक पहले दिन से ही पूरी तरह स्वचालित हों। ये परिणाम स्वयं साक्षी हैं क्योंकि ये बैंक पहले दिन से ही उच्च प्रौद्योगिकी वाले बैंक बन चुके हैं। इसका पूरी प्रणाली पर ‘प्रदर्शन’ प्रभाव पड़ा है। राष्ट्रीयकृत और भारतीय स्टेट बैंक में सरकारी स्वामित्व को उन्हें चुकता पूंजी के 49/45 प्रतिशत तक ईक्विटी बाजार से पूंजी जुटाने की अनुमति देकर कम किया गया।

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सुधार की एक अनोखी विशेषता, जिसने भारतीय बैंकिंग क्षेत्र पर सबसे अधिक प्रभाव डाला, वित्तीय पुनर्संरचना की प्रक्रिया थी। सरकार ने विवेकपूर्ण मानदंडों को पूरा करने के लिए पुनर्पूजीकरण बांडों के माध्यम से बैंकों को पूँजी प्रदान की। नैतिक जोखिम को देखते हुए, अशोध्य ऋण को एक पृथक सरकारी आस्ति प्रबंधन कंपनी को अंतरित करने की व्यवस्था को उचित नहीं समझा गया। अनर्जक ऋणों की अधिकता को बैंकों द्वारा स्वयं प्रबंधन करना था।
- ईक्विटी का परवर्ती विनिवेश और निजी शेयरधारकों को प्रस्ताव सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से किया गया न कि कुशल निवेशकों को बिक्री करके। परिणामस्वरूप, सार्वजनिक क्षेत्र के वे सभी बैंक, जिन्होंने निजी शेयरधारकों को शेयर जारी किए, शेयर बाजार में सूचीबद्ध कर लिए गए हैं और वे अन्य सूचीबद्ध कंपनियों की तरह समान प्रकटीकरण तथा बाजार अनुशासन मानकों के अधीन होंगे।
- अन्य देशों में अनुभवों के सापेक्ष में जीडीपी के प्रति पुनर्पूजीकरण की लागत कम रही है। संचयी आधार पर यह लगभग जीडीपी का एक प्रतिशत होता है। इसके अलावा, सरकार के पास रखी ईक्विटी का बाजार मूल्य अब पुनर्पूजीकरण लागत से अधिक हो गया है। सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दृष्टि से, जैसा कि पिछले बजट में घोषित किया गया था, सरकार ने विशेष प्रतिभूतियों (मूलरूप से अपरक्राम्य) के रूप में जारी पुनर्पूजीकरण बांडों को विपणनीय प्रतिभूतियों में, जो अन्य सरकारी प्रतिभूतियों से अविभेद्य होंगी, परिवर्तित करने का निर्णय लिया। यह प्रक्रिया पहले ही प्रारंभ कर दी गई है और 2006-07 में सरकार ने लगभग 80 बिलियन रुपये की ऐसी प्रतिभूतियों को एसएलआर प्रतिभूतियों में परिवर्तित किया। शेष विशेष प्रतिभूतियां एक अवधि में चरणबद्ध तौर पर समाप्त हो जाएंगी।
- बैंकों को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाएं देने की अनुमति दी गई और वे वैश्विक बैंकों की तरह सभी प्रकार के वित्तीय उत्पादों को दे रहे हैं।
- वैधानिक ढाँचा और प्रौद्योगिकी प्रणाली सहित संस्थागत व्यवस्थाओं में सुधार करने के लिए भी सक्रिय कदम उठाए गए हैं। अनर्जक आस्तियों के उच्च स्तर से निपटने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय ऋण वसूली अधिनियम, 1993 के पारित होने पर ऋण वसूली न्यायाधिकरण बनाए गए। सतत वसूली सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को और अधिक अधिकार देने हेतु वित्तीय आस्ति प्रतिभूतीकरण और पुनर्संरचना तथा प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2000 (सरफेसाई) पारित किया गया।
- जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एनपीए का अंतरण पृथक आस्ति प्रबंधन कंपनियों को करने पर विचार नहीं किया गया, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की समस्याग्रस्त आस्तियों से निपटने के लिए एक संस्थागत तंत्र बनाया गया। आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को बनाने की अनुमति प्रदान की गई जो निजी क्षेत्र में हैं, और जो किसी वित्तीय कंपनी से अनर्जक आस्तियां प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र व्यापारिक कंपनी के रूप में कार्य करती हैं और उनका एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत पुनर्संरचना तथा पुनर्वास अथवा समापन करती हैं। इसने भारत में समस्याग्रस्त आस्तियों के लिए एक बाजार बनाया है।
- सरकारी प्रतिभूति, मुद्रा और विदेशी मुद्रा बाजार का उभरती बाजार अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण सार्वजनिक नीतिगत प्रभाव होता है। ये सहभागियों

और लिखतों के प्रभावकारी विविधीकरण के साथ सुधार की अवधि में विकसित हुए हैं।

- वित्तीय स्थिरता के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली का कारगर तरीके से कार्य करना एक पूर्व आवश्यकता है। आरटीजीएस की शुरूआत और सीसीआइएल की स्थापना, जो प्रतिभूतियों और विदेशी मुद्रा लेनदेनों के लिए केंद्रीय काउंटर पार्टी के रूप में कार्य करता है, लेनदेनों के दोनों चरणों अर्थात् प्रतिभूतियों तथा निधियों की गारंटी प्रदान करता है, ने भुगतान प्रणाली की कार्यक्षमता को बढ़ाया है।
- प्रक्रियाओं के अनुसार भी, सुधार की कुछ मनोहारी विशेषताएं दिख रही हैं। पहला, इसकी क्रमबद्धता रही है, जिसके अंतर्गत सुधार सभी सहभागियों से निकट और निरंतर परामर्श की प्रक्रिया के पश्चात् ही किए गए हैं। व्यापक भागीदारी के साथ सहभागिता की प्रक्रिया ने न केवल नीतियों के अंतर्निहित विषय के अधिक सूचित मूल्यांकन के लिए प्रेरित किया, बल्कि नीतियों की विश्वसनीयता को भी बढ़ाया और स्थायी स्वरूप की प्रक्रिया के बारे में आर्थिक एजेंटों के बीच प्रत्याशाओं को उत्पन्न किया।

घरेलू और वैश्विक कारोबार वातावरण, विवेकपूर्ण व्यवहारों की स्थापना, नियामक और पर्यवेक्षी ढांचे का उन्नयन, उपयुक्त संस्थागत और विधिक सुधार तथा अर्थव्यवस्था में खुलेपन की स्थिति के बारे में की गई भविष्यवाणियों से संबंधित सुधार प्राथमिकताओं का लगातार पुनर्संतुलन हो रहा है।

बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों का प्रभाव

(i) निष्पादन संकेतक

पिछले डेढ़ दशक में शुरू किए गए विभिन्न उपायों ने वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्र की लाभदायकता, आस्ति

गुणवत्ता और पूंजी स्थिति को सुदृढ़ किया है। खास तौर से बैंकिंग प्रणाली के सुदृढ़ मानदंडों में निरंतर सुधार दिखा है।

भारतीय बैंकिंग प्रणाली की आस्ति गुणवत्ता में पिछले एक दशक में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के एनपीए में, जो 1995-96 में सकल अग्रिमों का 15.7 प्रतिशत और सकल आस्तियों का 7.0 प्रतिशत था, गिरावट आयी और वह 2005-06 में सकल अग्रिमों के 3.3 प्रतिशत और कुल आस्तियों के 1.9 प्रतिशत पर आ गया (सारणी 1)। इसी तरह की प्रवृत्ति इसी अवधि के दौरान निवल एनपीए में भी देखी जा सकती है जो बैंकों द्वारा बेहतर वसूली और निधियों के बेहतर आबंटन को प्रदर्शित करती है। हाल के वर्षों में वसूली के वातावरण में स्पष्ट तौर पर सुधार हुआ है जिसे सुदृढ़ समष्टि आर्थिक निष्पादन और रिजर्व बैंक/सरकार द्वारा शुरू किए गए संस्थागत उपायों से सहायता प्राप्त हुई है। यह भी महत्वपूर्ण बात है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की आस्ति गुणवत्ता निवल एनपीएल (अर्थात्, प्रावधानन का निवल) के अनुसार निजी क्षेत्र के बैंकों - पुराने और नए दोनों - की तुलना में बेहतर है।

सारणी 1 : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल और निवल एनपीए

वर्ष (मार्च के अंत में)	अनर्जक आस्तियां			
	सकल		निवल	
	सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में	कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में	निवल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में	कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में
1	2	3	4	5
1996-97	15.7	7.0	8.1	3.3
1999-00	12.7	5.5	6.8	2.7
2002-03	8.8	4.0	4.4	1.9
2005-06	3.3	1.9	1.2	0.7

स्रोत : 2005-06 की भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी संबंधी पुस्तिका।

विगत हाल में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के वित्तीय निष्पादन में सुधार हुआ जैसाकि उनकी लाभदायकता में प्रदर्शित होता है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के आस्ति की तुलना में परिचालन लाभ का अनुपात, जो 1995-96 में 1.69 था, 2005-06 में बढ़कर 2.03 हो गया (सारणी 2)। 1995-96 से 2005-06 की अवधि के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की आस्तियों की तुलना में निवल लाभ 0.47 से 1.13 की सीमा में रहा। भारतीय बैंकिंग प्रणाली की बढ़ती प्रतिस्पर्धा और सुधरी कार्यक्षमता को सुधार अवधि में ब्याज अंतर में आई महत्वपूर्ण कमी के रूप में भी देखा जा सकता है।

बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों का एक बड़ा उद्देश्य बड़ी हुई प्रतिस्पर्धा के माध्यम से कार्यक्षमता और उत्पादकता को बढ़ाना था। प्रतिस्पर्धा बढ़ी है इसे इस बात से मापा जा सकता है कि 1990 के दशक के मध्य से वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली की कुल आय, व्यय और आस्तियों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के हिस्से में गिरावट आई है और निजी क्षेत्र के नए बैंकों के हिस्से में बढ़ोत्तरी हुई है (सारणी 3)।

अन्य देशों के साथ तुलना

अनेक तुलनपत्र और लाभदायकता संकेतक बताते हैं कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के संकेतक वैश्विक बेंचमार्क की ओर जा रहे हैं (सारणी 4)।

सारणी 3 : बैंक समूह - वार शेयर : चुनिंदा संकेतक

(प्रतिशत)				
	1995-96	1999-2000	2002-03	2005-06
1	2	3	4	5
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक				
आय	82.5	78.8	74.5	72.4
व्यय	84.2	79.4	74.8	73.1
कुल आस्तियां	84.4	80.2	75.7	72.3
निवल लाभ	-39.1	70.0	64.8	67.3
सकल लाभ	74.3	70.9	76.6	69.2
निजी क्षेत्र के बैंक				
आय	8.2	12.3	18.5	19.7
व्यय	7.4	12.0	18.6	19.7
कुल आस्तियां	7.7	12.3	17.5	20.5
निवल लाभ	59.3	16.8	15.6	20.3
सकल लाभ	10.1	14.5	18.7	19.0
विदेशी बैंक				
आय	9.4	9.0	7.0	7.8
व्यय	8.3	8.7	6.6	7.3
कुल आस्तियां	7.9	7.5	6.9	7.2
निवल लाभ	79.8	13.2	19.6	12.5
सकल लाभ	15.6	14.6	4.7	11.8

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक ।

(i) एनपीए का समाधान :

नरसिम्हम समिति I ने एक आस्ति निर्माण निधि बनाने का सुझाव दिया था, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कतिपय रक्षोपायों के साथ अनर्जक आस्तियों का अंतरण कर सकेंगे। विचार-विमर्श के पश्चात यह तय किया गया कि इस दृष्टिकोण को न अपनाया जाए। इसके स्थान पर बैंकों से अपेक्षा की गई कि वे सभी प्रकार की अनर्जक आस्तियों

सारणी 2 : महत्वपूर्ण वित्तीय संकेतक - अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

वर्ष	आस्तियों के प्रति परिचालन लाभ	आस्तियों के प्रति निवल लाभ	आस्तियों के प्रति आय	आस्तियों के प्रति व्यय	आस्तियों के प्रति परिचालन व्यय	आस्तियों के प्रति प्रावधान और आकस्मिकताएं	आस्तियों के प्रति अंतर (एन आइ आइ)
1	2	3	4	5	6	7	8
1995-96	1.69	0.68	—	—	2.94	1.54	3.13
1999-00	1.66	0.66	10.40	9.74	2.50	1.00	2.73
2002-03	2.39	1.01	10.14	9.14	2.24	1.39	2.77
2005-06	2.03	0.88	7.97	7.09	2.11	1.15	2.78

स्रोत : भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट, अनेक अंक।

सारणी 4 : चुनिंदा बैंकिंग संकेतक : विभिन्न देश

(मार्च के अंत में)						
देश	आस्तियों पर प्रतिलाभ		जोखिम भारित आस्तियों के प्रति नियामक पूँजी		कुल ऋणों के प्रति अनर्जक ऋण	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7
उभरते बाजार						
अर्जेंटाइना	0.9	1.9	5.2	4.7
ब्राजील	2.1	2.3	17.4	...	4.4	...
मैक्सिको	2.4	2.4	14.3	16.0	1.8	1.7
कोरिया	1.2	1.3	12.8	13.1	1.2	1.2
दक्षिण अफ्रीका	1.1	...	12.3	12.6	1.5	1.3
विकसित देश						
अमरीका	1.3	1.4	13.0	13.1	0.7	0.7
ब्रिटेन	0.8	...	12.8	...	1.0	...
जापान	0.5	1.8	...
कनाडा	0.7	...	12.9	13.0	0.5	...
आस्ट्रेलिया	1.8	...	10.3	...	0.2	...
ज्ञापन:						
भारत *	0.9	0.9	12.8	12.4	5.2	3.3

... : उपलब्ध नहीं।
टिप्पणी : ये आंकड़े ब्राजील, ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया से संबंधित हैं तथा दिसंबर 2005 और 2006 के अंत के हैं।
स्रोत : ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, (जीएफएसआर), सितंबर 2006।

से निपटें। उपर्युक्त निष्पादन संकेतकों से स्पष्ट है कि यह नीति प्रभावी रही है। राजकोषीय समर्थन बोझिल नहीं रहा है। विरासत में मिली समस्याएं जैसे अनर्जक ऋण बैंकों द्वारा वहन कर लिए गए हैं और राजकोष को अंतरित नहीं किए गए हैं। यद्यपि बाद में सरकार ने एक नए प्रकार की कंपनी बनाने के लिए कानून पारित किया जिसे आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी कहा गया, यह ध्यान देने की बात है कि ये कंपनियां निजी वाणिज्यिक कंपनियां हैं और समस्याग्रस्त आस्तियों से निपटने के लिए वाणिज्यिक आधार पर कार्य करती हैं। इन संस्थाओं और मार्ग-निर्देशों, जो बैंकों को एनपीए को खरीदने और बेचने की अनुमति देते हैं, ने तथा कंपनी ऋण पुनर्निर्माण तंत्र ने बैंकों को 'प्रवाह' और न कि केवल एनपीए के स्टॉक से निपटने योग्य बनाया है। इन उपायों ने बैंकों को निरंतर आधार पर एनपीए से निपटने के लिए समर्थ बनाया है।

(ii) स्वामित्व ढांचा :

चूंकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विनिवेश केवल शेयर बाजार में प्रवेश करके ही किया जा सकता है, कुछ बैंकों को छोड़कर अन्य सभी अब शेयर बाजार में सूचीबद्ध हैं। इन बैंकों में सरकारी धारिता 51 प्रतिशत (ओबीसी, देना) से 76 प्रतिशत (बैंक ऑफ महाराष्ट्र) हैं। निजी तौर पर रखी गई ईक्विटी में, 30 सितंबर 2006 को बड़ा हिस्सा (15 से 20 प्रतिशत) विदेशी निवेशकों द्वारा केवल कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में रखा गया है। सभी नये निजी बैंक सूचीबद्ध किए गए हैं और इन बैंकों में काफी विदेशी निवेश (एफडीआई और एफआईआई) हुआ है। विद्यमान आठ बैंकों में पाँच में विदेशी अंशधारिता 50 प्रतिशत के ऊपर पहुँच गई थी। पुराने निजी बैंक के बीच भी सभी महत्वपूर्ण बैंक सूचीबद्ध थे।

(iii) समेकन :

भारत में समेकन की प्रक्रिया भी हो रही है। 1990 से, वाणिज्यिक बैंक क्षेत्र में 19 विलयन हुए हैं। भारत में बैंकों के विलयन मुख्य रूप से विलय होने वाली संस्थाओं की शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए हैं। नियामक और विवेकपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए निजी क्षेत्र के बैंकों के विलयन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने व्यापक दिशा-निर्देश दिए हैं और यथोचित परिवर्तनों सहित और संबंधित सीमा तक ये दिशा निर्देश सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर लागू हैं।

(iv) सुधार प्रक्रिया के कवरेज का विस्तार

सुधार प्रक्रिया शुरू में वाणिज्यिक बैंकों पर केंद्रित थी। तथापि, वाणिज्यिक बैंकों को सुदृढ़ संस्थाओं में परिवर्तित करके हुई महत्वपूर्ण प्रगति के पश्चात, सुधार प्रक्रिया को अन्य संस्थाओं जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), सहकारी बैंक, अखिल भारतीय वित्तीय संस्था (एआइएफआइ) तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को शामिल करके और आगे बढ़ाया गया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शहरी सहकारी बैंक और ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाएं वित्तीय समावेशन और वित्तीय क्षेत्र को गहन करने में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, बड़ी भूमिका अदा कर सकती हैं। सहकारी ऋण संस्थाएं, शहरी और ग्रामीण दोनों, नीति निर्माण की परामर्शदात्री प्रणाली के माध्यम से पुनर्जीवन के मार्ग पर रखी गई हैं जिससे प्रोत्साहन संबंधी समस्याओं से निपटने और वित्तीय समर्थन, जहाँ आवश्यक है, के लिए कामचलाऊ विनियामक व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। इस नीति के परिणाम दिखने शुरू हो गए हैं जो ग्रामीण और शहरी गरीब तथा लघु बचतकर्ताओं के बीच वित्तीय मध्यस्थता में उनकी भूमिका को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

हाल की पहलें**(i) वित्तीय समुच्चयों का पर्यवेक्षण**

वित्तीय समुच्चय वित्तीय प्रणाली के लिए कतिपय जोखिम प्रस्तुत करते हैं जो समग्र वित्तीय स्थिरता के लिए घातक हो सकता है। ये जोखिम कई वित्तीय समुच्चयों की “असफल होने के लिए अत्यधिक बड़े” होने की संभावना की स्थिति से जुड़े नैतिक खतरों से संबंधित हैं, यह तथ्य कि बने रहने (होलिडिंग आउट) की प्रवृत्ति के कारण एक खंड की एक अनुषंगी कंपनी की वित्तीय कठिनाइयां दूसरे खंड की दूसरी अनुषंगी कंपनी में सांसारिक अथवा ख्याति प्रभाव डाल सकती हैं; विशेष रूप से जब उसी ब्रांड नाम का प्रयोग किया जा रहा है और नियामक अंतरपणन, घनिष्ठ लेन-देन आदि, जो अंतर समूह लेन-देनों और जोखिमों (आइटीई) - वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों से उत्पन्न हुए हों, की चिंताओं से संबंधित हैं। भारत में वित्तीय क्षेत्र के सभी चारों खंडों - बैंकिंग, गैर-बैंकिंग वित्त, प्रतिभूति और बीमा, में काफी उदारीकरण हुआ है और इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है, इसके साथ बाजार मध्यस्थों के बीच पुनर्संरचना की प्रक्रिया भी संबद्ध है। वित्तीय परिदृश्य में व्यापक रूप से दिख रहा है (i) प्रमुख बड़े बैंकों की अन्य वित्तीय खंडों जैसे वाणिज्यिक बैंकिंग, बीमा आदि में पैठ जिसने उन्हें वित्तीय ‘समुच्चय’ बनाया है (ii) प्रमुख खंडों में विविधीकृत उपस्थिति के साथ कई नए खिलाड़ियों का अभ्युदय, (iii) बैंकिंग क्षेत्र में कुछ गैर बैंकिंग संस्थाओं की संभावना जो प्रणालीगत प्रभाव डालने के लिए काफी बड़ा अनुपात धारण कर लेते हैं। उपर्युक्त को देखते हुए, कार्य दल ने सभी मुद्दों पर विचार किया है और वित्तीय समुच्चय के रूप में पहचाने गए समूह के लिए मानदंड बनाए गए हैं। तदनुसार, पहचाने गए सभी वित्तीय समुच्चयों के लिए एक प्रणाली का प्रयोग किया गया है, जिसके द्वारा समुच्चय के अंतर्गत एक विनिर्दिष्ट संस्था अग्रणी विनियामक को रिपोर्ट करती है। अंतर समूह लेन-देनों

और एक्सपोजरों पर निगरानी रखने के लिए, प्रत्येक वित्तीय समुच्चय की विनिर्दिष्ट कंपनी से सूचनाएं प्रधान विनियामक द्वारा प्राप्त की जाती हैं और विनियामकों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान की प्रणाली विकसित की गई है। इसके अलावा, समीक्षा के लिए उपलब्ध सूचनाओं और संबंधित बातों, यदि कोई हैं, के आधार पर अन्य विनियामकों के साथ, अग्रणी विनियामक द्वारा वित्तीय समुच्चय की विनिर्दिष्ट कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के साथ समय-समय पर चर्चा की जाती है। सार्थक अंतर-समूह लेन-देनों/जोखिमों और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं को मालूम करने तथा समुच्चयों के मामलों में विनियामक की समझ को बढ़ाने के लिए भी रिपोर्टिंग फॉर्मेट की प्रभावकारिता को पुनः-परीक्षित करना जरूरी है। इसके आगे अन्य विनियामकों के परामर्श से इस दिशा में कार्य किया जा रहा है।

अंतर-नियामक फोरम ने भी समूह के प्रधान लेखा-परीक्षक के साथ बातचीत करने के लिए प्रधान नियामक की आवश्यकता महसूस की है। इससे समुच्चयों की मूल आय के लेखांकन मानकों में और व्यवहारों में परिवर्तन के प्रभाव तथा भविष्य में संभावित रुझान संबंधी उपयोगी सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं। इस उद्देश्य के लिए अन्य विनियामकों के परामर्श से कार्य प्रणाली तैयार की जा रही है।

(ii) नई पूंजी लिखते

जनवरी 2006 में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय बैंकों को अपनी पूंजी निधि बढ़ाने के लिए टियर I पूंजी के रूप में शामिल करने के लिए पात्र नवोन्मेषी स्थायी ऋण लिखत, उच्चतर टियर II पूंजी के रूप में शामिल करने के लिए पात्र ऋण पूंजी लिखत, टियर I पूंजी के रूप में शामिल करने के लिए पात्र स्थायी असंचयी अधिमान शेयर और टियर II पूंजी के रूप में शामिल करने के लिए पात्र

मोचनीय संचयी अधिमान शेयर जारी करने की अनुमति प्रदान की। अनेक बैंकों ने पूंजी बढ़ाने के लिए भारत और विदेशों में इन लिखतों को जारी किया है।

(iii) प्रचक्रिय विवेकपूर्ण प्रावधान

परंपरागत तौर पर बैंक के ऋण और अग्रिम संविभाग प्रचक्रिय हैं और विस्तार के चरण में तेजी से बढ़ते हैं और मंदी के चरण में धीमे बढ़ते हैं। विस्तार के समय और तीव्र ऋण वृद्धि के दौरान, अंतर्निहित जोखिम के स्तर को कम आँकने और मंदी के दौरान उल्टी स्थिति की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति को प्रभावी तरीके से उपर्युक्त विवेकपूर्ण विशिष्ट प्रावधानन आवश्यकताओं के द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है क्योंकि वे वास्तविक जोखिम को होने के बाद पकड़ते हैं न कि होने के पहले। अन्वयों के मध्य प्रचक्रिय तत्व कम करने के लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में शामिल हैं : गत्यात्मक प्रावधानन आवश्यकता के लिए वस्तुनिष्ठ प्रणाली अपनाना, जैसाकि कुछ देशों द्वारा आस्तियों के जोखिम के आधार पर वर्ष के बजाए व्यापार चक्र की आवश्यकता का अनुमान लगाकर किया जा रहा है, पॉइंट-इन-टाइम रेटिंग के स्थान पर विवेकपूर्ण पूंजी आवश्यकताओं और थ्रू दि साइकल रेटिंग के बीच संपर्क की स्थापना और मूल्य की तुलना में लोचदार ऋण (एलटीवी) अनुपात अपेक्षाओं की स्थापना जहाँ एलटीवी अनुपात आस्ति मूल्यों के उतार-चढ़ाव से सीधे संबद्ध होगा।

उपर्युक्त पक्ष को अक्टूबर 2005 में मुद्रा नीति की घोषणा में पहली बार लिया गया था और तब से अनेक उपायों की घोषणा की गई है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि उच्च ऋण वृद्धि के आलोक में आस्ति गुणवत्ता को बनाए रखा जाए, कुछ विशिष्ट संवेदनशील क्षेत्रों में मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधानन की आवश्यकता और जोखिम भार भी बढ़ाया

गया है। उदाहरण के लिए, वैयक्तिक ऋण (क्रेडिट कार्ड प्राप्ति सहित) पर जोखिम भार 125 प्रतिशत है और सामान्य प्रावधान 2 प्रतिशत है। इसी तरह वास्तविक भूसंपदा ऋण के लिए सामान्य प्रावधान 2 प्रतिशत है और जोखिम भार 150 प्रतिशत है। इसका उद्देश्य है कि बढ़ने की स्थिति में इन आस्तियों के वर्ग में, आस्ति गुणवत्ता के भावी विकास को ध्यान में लिए बिना, कुशन अथवा बफर का निर्माण किया जाए।

(iv) ऋण सूचना कंपनियां :

एक कार्यक्षम ऋण सूचना प्रणाली ऋण निर्णयों की गुणवत्ता को बढ़ाती है और त्वरित ऋण सुपुर्दगी की सुविधा के अलावा बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार लाती है। तदनुसार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के चूक करने वाले उधारकर्ताओं से संबंधित सूचनाओं का खुलासा करने की एक योजना शुरू की गई है। ऋण मामलों से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए 2000 में ऋण सूचना ब्यूरो (भारत) लिमिटेड (सिबिल) की स्थापना की गई। कानूनी तंत्र को सुदृढ़ बनाने हेतु और बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के उधारकर्ताओं से संबंधित ऋण सूचनाओं को इकट्ठा करने, प्रोसेस करने और आदान-प्रदान करने के लिए ऋण सूचना ब्यूरो को सुविधा प्रदान करने के हेतु मई 2005 में ऋण सूचना अधिनियम पारित किया गया। नियम और विनियम भी अधिसूचित किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अब विस्तृत दिशा-निर्देश बना रहा है जिसके आधार पर यह ऋण सूचना कंपनियों से प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार करेगा। इससे भारत में कुछ और ऋण सूचना कंपनियां बनाने में मदद मिलेगी।

(v) वित्तीय समावेशन :

बैंकिंग के उन व्यवहारों को, जिससे जनसंख्या के एक बड़े भाग को शामिल करने के बजाय छोड़ दिया

जाता है, स्वीकार करते हुए रिजर्व बैंक ने बैंकों से अपनी वर्तमान कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए कहा जिससे उन्हें वित्तीय समावेशन के उद्देश्य के अनुकूल बनाया जा सके। नवंबर 2005 में सभी बैंकों को सलाह दी गई कि वे शून्य अथवा बहुत कम न्यूनतम शेष एवं प्रभारों वाले मूल बैंकिंग के 'नो फ्रिल्स' खाते खोलने की सुविधा उपलब्ध कराएं जिससे ऐसे खातों तक जनसंख्या के बड़े भाग की पहुँच हो सके। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दृष्टि से छोटे खाते खोलने के लिए केवाईसी कार्यविधि को सरल बनाया गया। बैंकों को मध्यस्थों के रूप में एनजीओ/ एसएचजी, एमएफआई और सीएसओ की सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति दी गई जिससे वे कारोबार मददकर्ता और प्रतिनिधियों के माध्यम से वित्तीय और बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर सकें।

भावी कार्यक्रम

(i) लेखांकन पहलुओं पर प्रारूप दिशा-निर्देश

बैंकिंग क्षेत्र में सुदृढ़ लेखांकन ढाँचे के महत्व को स्वीकार करते हुए, रिजर्व बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानकों से बैंकों के अनुपालन में अंतरों का मूल्यांकन करने के लिए कुछ साल पहले (2001 में) एक अध्ययन किया था। इससे संबंधित दिशा-निर्देशों को जारी किए जाने के पश्चात बैंकों के लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण संबंधित लेखांकन मानकों के अनुसार पाए गए हैं। इस दिशा में और आगे बढ़ते हुए, रिजर्व बैंक ने बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो और व्युत्पन्न पोर्टफोलियो के लेखांकन के लिए आईएस 39 के विभिन्न तत्वों को दिशा-निर्देशों के रूप में शुरू करने की पहल की है। अभी तक भारत में आईएस 39 के अनुरूप लेखांकन मानक नहीं है। वर्तमान में आईसीएआई इस मानक को जारी करने की प्रक्रिया में है और इस प्रक्रिया के कुछ और समय लेने

की संभावना है इसलिए रिजर्व बैंक ने पहल की है। रिजर्व बैंक ने उपर्युक्त दो पहलुओं पर मसौदा दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो बैंकों और अन्य बाजार सहभागियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

(ii) व्युत्पन्नी - व्यापक दिशा-निर्देश

व्युत्पन्नी बैंकों के समग्र जोखिम प्रोफाइल को रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वर्षों से, बैंक जोखिम प्रबंधन करने के लिए व्यापक रूप से व्युत्पन्नियों का प्रयोग करते रहे हैं और कंपनियों को भी इन उत्पादों को प्रस्तुत करते आ रहे हैं। रिजर्व बैंक ने विभिन्न व्युत्पन्न लिखतों पर समय-समय पर बैंकों के लिए अनेक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बैंकों द्वारा प्रयोग किए जा रहे व्युत्पन्न लिखतों में बढ़ती जटिलता, विभिन्नता और मात्रा को देखते हुए, रिजर्व बैंक ने व्युत्पन्न लिखतों के विद्यमान दिशा-निर्देशों की समीक्षा करने और बैंकों के लिए व्युत्पन्न लिखतों पर व्यापक दिशा-निर्देश बनाने के लिए एक आंतरिक समूह का गठन किया है। इन दिशा-निर्देशों में व्युत्पन्न लेन-देनों को करने, जोखिम के प्रबंधन और सुदृढ़ कंपनी अभिशासन की आवश्यकताओं के लिए व्यापक सामान्य सिद्धांत इत्यादि को शामिल किया गया है। मसौदा दिशा-निर्देशों को दिसंबर 2006 में रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर डाला गया था। इन दिशा-निर्देशों पर प्राप्त फीडबैक की आंतरिक समूह द्वारा जांच की जा रही है और मसौदा दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(iii) स्ट्रेस की जांच के लिए मसौदा दिशा-निर्देश

नब्बे के दशक के मध्य में वित्तीय क्षेत्र के उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत के कारण पिछले कुछ वर्षों से भारत में जोखिम प्रबंधन की कार्य-प्रणाली में काफी सुधार हुआ है। 1999 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आस्ति

देयता प्रबंधन और ऋण जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालन जोखिम के प्रबंधन पर नियामक दिशा-निर्देश तथा मार्ग-निर्देश नोट जारी करने के कारण इस प्रक्रिया में गति आई। इसके आगे, 31 मार्च 2007 से भारत में संशोधित पूँजी पर्याप्तता ढाँचा के कार्यान्वयन की घोषणा से बैंक के जोखिम प्रबंधन की क्षमता अत्यधिक प्रकाश में आई।

वैश्विक तौर पर, बैंक वित्तीय जोखिम, जिसका वे सामना कर रहे हैं, को मापने और उसका प्रबंधन करने के लिए सांख्यिकीय मॉडल पर व्यापक रूप से निर्भर कर रहे हैं। इन मॉडलों को मान्यता मिल रही है क्योंकि इन जोखिमों को पहचानने, उनका विश्लेषण करने, उनको मापने, सूचित करने और उनका प्रबंधन करने के लिए वे ढाँचा उपलब्ध कराते हैं। चूंकि ये मॉडल सभी संभावित जोखिम परिणामों को सम्मिलित नहीं कर सकते और सामान्यतया 'घटना जोखिम' और आकस्मिक/नाटकीय परिवर्तनों को रोकने में समर्थ नहीं होते हैं, अतः बैंकों को इन मॉडलों की अनुपूर्ति स्ट्रेस जाँच से करने की आवश्यकता है। अंतरराष्ट्रीय तौर पर, स्ट्रेस जाँच बैंकों की जाँच प्रबंधन प्रणाली का एक आंतरिक हिस्सा हो गई है और इसे वित्तीय चल मदों की गतिविधियों तथा असंभव परन्तु सत्याभाषी घटनाओं की संभावित संवेदनशीलता का मूल्यांकन करने हेतु प्रयोग किया जाता है। बैंकों में प्रयोग की जाने वाली स्ट्रेस जाँच के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं अर्थात् संवेदनशीलता जाँच और स्थानगत जाँच। इन्हें या तो अलग रूप से अथवा एक दूसरे के साथ प्रयोग किया जा सकता है।

भारत में बैंकों ने जोखिम को मापने और प्रबंधन करने के लिए सांख्यिकीय मॉडल का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। साथ ही, बासेल II ढाँचे के स्तम्भ 2 के अंतर्गत पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया न केवल यह सुनिश्चित करती है कि बैंकों के पास अपने कारोबार में सभी प्रकार

के जोखिमों का सामना करने के लिए पर्याप्त पूँजी है, बल्कि उनके जोखिमों की निगरानी और प्रबंधन करने के लिए बेहतर जोखिम प्रबंधन प्रौद्योगिकी को विकसित करने और प्रयोग करने में बैंकों को प्रोत्साहित करती है। स्तम्भ 2 द्वारा निर्धारित आंतरिक पूँजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत बैंकों को प्रदर्शित करना चाहिए कि उनके पास न सिर्फ न्यूनतम पूँजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपितु सख्त और सत्यभाषी आघातों को सहने के लिए भी पर्याप्त पूँजी है। इस पृष्ठभूमि में, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 'स्ट्रेस जाँच' को जोखिम प्रबंधन के एक औजार के रूप में अपनाने के लिए भारत में बैंकों पर जोर दिया जा रहा है।

(v) बासेल II

भारतीय रिज़र्व बैंक और वाणिज्यिक बैंक बासेल II को कार्यान्वित करने की तैयारी कर रहे हैं। जून 2005 में रिज़र्व बैंक ने मंशा व्यक्त की थी कि 31 मार्च 2007 तक सभी वाणिज्यिक बैंक बासेल II का अनुपालन करें। तथापि, बैंकिंग प्रणाली की तैयारी की स्थिति को देखते हुए, अक्टूबर 2006 में यह तय किया गया कि बैंकों को समुचित प्रणाली के स्थापन के लिए कुछ और समय दिया जाए ताकि बासेल II का पूरी तरह अनुपालन किया जा सके। नई अनुसूची के अनुसार, भारत में कार्य करने वाले विदेशी बैंक और भारत के बाहर स्थित भारतीय बैंकों को 31 मार्च 2008 से बासेल II के अंतर्गत ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण और परिचालन जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण की ओर जाना है। सभी अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से कहा गया है कि वे बासेल II के अंतर्गत इन दृष्टिकोणों को अपनाएं लेकिन किसी भी दशा में 31 मार्च 2009 के बाद नहीं।

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति ने संशोधित ढाँचे को अपनाने के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए पाँचवाँ

संख्यात्मक प्रभाव अध्ययन (क्यूआइएस5) किया था। ग्यारह भारतीय बैंकों ने, जिनका बाजार में (आस्तियों के अनुसार) लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा था, क्यूआइएस-5 अभ्यास में भाग लिया। अनुभववादी विश्लेषण से पता चलता है जब ये बैंक ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण और परिचालन जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण के लिए बासेल II मानदंड लागू करेंगे तो इन बैंकों के संयुक्त पूँजी पर्याप्तता अनुपात में लगभग 100 आधार अंक की कमी होने की आशा है। यद्यपि अभ्यास में भाग लेने वाले किसी भी बैंक ने नए ढाँचे के अंतर्गत न्यूनतम पूँजी पर्याप्तता अनुपात को नहीं तोड़ा है, निवल प्रभाव एक व्यापक सीमा को परिलक्षित करता है। बासेल II कार्यान्वयन पर मसौदा दिशा-निर्देशों को सार्वजनिक डोमेन पर डाला गया है पर इसी बीच में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे दिसंबर 2006 से तिमाही आधार पर मानकीकृत दृष्टिकोण पर आधारित सीएआर की समानांतर गणना करें और इसकी सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक को दें। इससे संशोधित दिशा-निर्देशों के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक समर्थ होगा और पूँजी आवश्यकताओं के आकलन/निर्धारण के लिए भी बैंक समर्थ हो सकेंगे।

(vi) बंधक गारंटी कंपनियां

जैसा कि बजट में घोषित किया गया है, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बंधक गारंटी कंपनियों पर मसौदा दिशा-निर्देशों को सार्वजनिक डोमेन पर डाला है। यह गैर बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत एक नया प्रकार होगा और कार्य बंधक गारंटी स्वरूप के होंगे, बंधक बीमा के नहीं। बंधक बीमा बीमा-नियामक के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है।

(vii) एफएसएपी - स्वमूल्यांकन :

वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता और विकास का स्व-मूल्यांकन करने के लिए वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन पर

एक समिति बनाई गई है। संदर्भित शर्तों के अंतर्गत कार्य को करने के प्रयोजन के लिए समिति ने चार सलाहकार पैनल बनाने का फैसला किया है जो इसके मूल्यांकन अभ्यास में समिति की सहायता करेंगे और ये क्रमशः वित्तीय स्थिरता मूल्यांकन तथा स्ट्रेस जाँच, पारदर्शिता मानक, वित्तीय विनिमयन और पर्यवेक्षण तथा संस्थाओं और बाजार संरचना से संबंधित क्षेत्र के गैर-सरकारी विशेषज्ञों से लिए जाएंगे। सलाहकार पैनल को आवश्यक इनपुट प्रदान करने के लिए यह तय किया गया है कि एक तकनीकी समूह बनाया जाए जिसमें मुख्य रूप से नियामक संस्थाओं के संबंधित क्षेत्र में सीधे तौर पर कार्य करने वाले अधिकारी शामिल होंगे।

अंत में वित्तीय बाजार में सुधारों पर कुछ विचार

सुविकसित वित्तीय बाजार मौद्रिक नीति को प्रभावी तरीके से संचालित करने और संसाधनों की आबंटनात्मक प्रभावकारिता को सुधारने में केंद्रीय बैंक को समर्थ बनाते हैं। बेंचमार्क सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज दरें अन्य वित्तीय आस्तियों का सही-सही मूल्यांकन करने में मदद करती हैं। इसलिए, रिजर्व बैंक का प्रयास रहा है कि इसके नियामक प्रावधान के अंतर्गत आने वाले वित्तीय बाजारों के सभी क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा दिया जाए। इसे लेन-देनों पर प्रतिबंधों को सरल करके, लेन-देन लागतों को कम करके, बाजार की व्यापकता और गहनता को बढ़ा करके और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम व्यवहारों के अनुरूप व्यापार और निपटान प्रणालियों की शुरूआत करके प्राप्त किया जा सकता है।

मुद्रा बाजार में लिखतों, सहभागियों और तकनीकी इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा पारदर्शिता के अनुसार हुए वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के बाद काफी परिवर्तन हुआ है। अनेक सुधार उपायों का परिणाम सापेक्षिक रूप से गहन, तरल और सक्रिय मुद्रा बाजार के रूप में हुआ है। बाजार में

और अधिक विकास अन्य बातों के साथ बैंक के बेहतर एएलएम व्यवहारों पर निर्भर करता है।

सरकारी प्रतिभूति बाजार में, 1990 के दशक से अनेक उपाय किए गए हैं, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से किए गए सभी सरकारी प्रतिभूति लेनदेनों से संबंधित गारंटीकृत निपटान शामिल हैं और मैं इन सभी के बारे में चर्चा नहीं करना चाहती। तथापि, वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार राजकोषीय वर्ष 2006-07 से रिजर्व बैंक केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्राथमिक बाजार में भाग नहीं लेता है। इससे रिजर्व बैंक के मौद्रिक ढाँचे, ऋण प्रबंधन और नियामक नीतियों को सुव्यवस्थित करने और परिचालित करने में महत्वपूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता उत्पन्न हुई है।

इस संबंध में उठाए गए कदमों में एक है- प्राथमिक डीलरशिप प्रणाली को व्यापक आधार देना। पिछले वर्ष तक प्राथमिक डीलर का कार्य प्राथमिक डीलर संस्थाओं तक सीमित था। इस कार्य को व्यापक आधार देने के उद्देश्य से, प्राथमिक डीलरशिप कारोबार का ढाँचा ऐसे सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को शामिल करने के लिए बढ़ाया गया जो कुछ न्यूनतम अर्हता मानदंड पूरा करते हैं। विद्यमान प्राथमिक डीलर कंपनियों को एक विकल्प दिया गया था कि वे प्राथमिक डीलरशिप कारोबार को अपने मूल बैंक अथवा समूह कंपनियों के साथ वापस मिला लें। परिणामस्वरूप, वर्ष के शुरूआत में प्राथमिक डीलरशिप कारोबार (पीडी) की संरचना 17 स्टैंडएलोन कंपनियों से 8 स्टैंडएलोन कंपनियों में बदल गई और वर्ष 2006-07 के अंत में 10 बैंक विभागीय तौर पर प्राथमिक डीलर कारोबार कर रहे थे।

रिजर्व बैंक प्रमुख परिपक्वता वाले स्टॉक के निर्माण के लिए विद्यमान प्रतिभूतियों को पुनः जारी करके

प्रतिभूतियों का निष्क्रिय समेकन कर रहा है। 2006-07 के दौरान, ये पुनर्निर्गम किए गए कुल निर्गमों के 91 प्रतिशत थे। चूंकि चलनिधि को बढ़ाने में निष्क्रिय समेकन का प्रभाव काफी अरसे के बाद पड़ता है, अतः गैर चलनिधि बांडों की पुनः खरीद करके और चलनिधि बांडों को पुनर्निर्गमित करके सक्रिय समेकन प्रस्तावित किया गया। इस योजना को सरकार के साथ विचार-विमर्श करके अंतिम रूप दिया गया है और इस संबंध में 25 बिलियन रूपयों का बजट प्रावधान भी किया गया है। आगे का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जा रहा है।

गिरती कीमतों के दौर में भी बाजार चलनिधि पैदा करने और बढ़ाने के लिए, चुनिंदा सहभागियों को सरकारी प्रतिभूति बाजार में प्रतिभूतियों की शॉर्ट सेलिंग की अनुमति दी गई है। शुरू में (28 फरवरी 2006) इस शॉर्ट सेलिंग की अंतर दिवस आधार पर अनुमति दी गई, जब सहभागी दिन के दौरान शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं और दिन की समाप्ति पर इसे कवर कर लेते हैं। बाजार फीडबैक के मूल्यांकन और सहभागियों से विचार-विमर्श के पश्चात, शॉर्ट सेल पाँच दिन की अवधि के लिए बढ़ा दी गई है, इस प्रकार सहभागियों को अनुमति दी गई कि वे लेन-देन चक्र के बाद अपनी शॉर्ट पोजीशन को आगे बढ़ा सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए रिपो स्टॉक की बिक्री की भी अनुमति दी गई है। शॉर्ट सेल करने के लिए सहभागियों द्वारा अपने संबंधित बोर्ड के अनुमोदन से धीरे धीरे आंतरिक प्रणाली विकसित करने के कारण, यह आशा की जाती है कि बाजार में चलनिधि बढ़ेगी।

1 अप्रैल 2006 से केंद्र सरकार के प्राथमिक निर्गमों में भारतीय रिजर्व बैंक के भाग न लेने के कारण प्राथमिक निर्गम ढाँचे में पुनर्सुधार की आवश्यकता है। 100 प्रतिशत हामीदारी सुनिश्चित करने और प्राथमिक डीलरों

(पीडी) को अपना कारोबार विविधीकृत करने की अनुमति देने के लिए पीडी की हामीदारी प्रतिबद्धताओं की पुनर्संरचना के साथ 'डब्ल्यूआइ' ट्रेडिंग शुरू की गई है जिससे नीलाम किए गए स्टॉक का बेहतर वितरण तथा और अधिक प्रभावी कीमत डिस्कवरी की जा सके। प्रारंभ में 'डब्ल्यूआइ' ट्रेडिंग पुनर्निर्गमित प्रतिभूतियों (मई 2006) के साथ शुरू की गई थी और बाद में इसे नई निर्गमित प्रतिभूतियों (नवंबर 2006) के साथ भी जोड़ दिया गया है, इसे साफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन करने के पश्चात कार्यान्वित किया जाएगा। यह कार्य काफी आगे बढ़ चुका है।

सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 के विधायन ने भारत में 'स्ट्रिप्स' की शुरुआत की है। भारतीय रिजर्व बैंक स्ट्रिप्स में बाजार विकसित करने के लिए कदम उठा रहा है। स्ट्रिप्स के कार्यान्वयन से बेंचमार्क दरों की शृंखला का निर्माण होगा और फुटकर में प्रतिभूतियों को बेचने के लिए बाजार ढाँचे का विकास होगा। निवेशक आधार को बढ़ाने के अलावा, स्ट्रिप्स की शुरुआत से समुचित प्राप्ति वक्र विकसित करने में मदद मिलेगी। स्ट्रिप्स पर बने कार्य दल की सिफारिशों के आधार पर, जिसने जुलाई 2004 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, इसकी आसानीपूर्वक शुरुआत के लिए एक कार्यान्वयन दल कार्य कर रहा है, यह दल इस संबंध में अन्तरराष्ट्रीय अनुभवों का भी अध्ययन कर रहा है जो विभिन्न प्रकार के हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने परिचालन मुद्दों जैसे मॉडल, स्ट्रिपिंग के लिए अर्ह प्रतिभूतियों, क्या प्राथमिक डीलरों को अनन्यता दी जानी है, पर बाजार सहभागियों से विचार-विमर्श किया है। स्ट्रिपिंग के लिए अर्हता हेतु प्रतिभूतियों के संबंध में दो जोड़ी कूपन तिथियां अर्थात् 02 जनवरी / 02 जुलाई और 16 अप्रैल / 16 अक्टूबर चुनी गई हैं; उक्त किसी कूपन तिथियों वाली सभी प्रतिभूतियां स्ट्रिपिंग के लिए अर्ह हैं। भविष्य में, स्ट्रिप्स की चलनिधि में सुधार के लिए प्रतिभूतियों के पुनर्निर्गमों

और नए निर्गमों को इन तिथियों के अनुसार बनाना होगा। इसी समय, भारतीय रिजर्व बैंक प्रणाली परिवर्तन के मुद्दे पर कार्य कर रहा है।

भारत में प्रतिभूतिकृत ऋण बाजार बढ़ रहा है और बैंकों को अपनी बढ़ती ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने और पूँजी का दक्षतापूर्वक प्रबंधन करने के लिए अपने ऋणों को प्रतिभूतिकृत करने पर विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी। भारतीय रिजर्व बैंक का नियामक ढाँचा इस बाजार की वृद्धि के लिए मजबूत आधार प्रदान करता है।

भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के उदारीकरण के प्रति दृष्टिकोण सतर्कतापूर्ण रहा है जिसमें उस संभावित वित्तीय अस्थिरता के विरुद्ध रक्षोपाय करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, जो विदेशी मुद्रा बाजार में अत्यधिक सट्टे के कारण उत्पन्न हो सकती है। इन सुधारों को लिखतों और उद्देश्यों के संबंध में सावधानीपूर्वक क्रमबद्ध किया गया है। यद्यपि अन्तर्निहित वाणिज्यिक लेन-देनों के आधार पर गैर बैंकों की विदेशी मुद्रा बाजार में पहुँच की भविष्यवाणी की गई है, कुछ समय पश्चात व्यापार और गैर व्यापार दोनों लेन-देनों के लिए गत्यात्मक आधार पर इन लेन-देनों को कवर करने हेतु पर्याप्त लोच उपलब्ध है। सुधार उपायों का प्रभाव स्पष्ट रूप से बाजार के सभी खंडों की गहनता और कार्यक्षमता पर दिखाई पड़ रहा है। 31 जनवरी 2007 को विदेशी मुद्रा बाजार में औसत दैनिक सकल टर्नओवर मजबूती से बढ़कर 28.6 बिलियन अमरीकी हो गया है।

रिजर्व बैंक ने कवर्ड आप्शनों की अनुमति देकर कंपनियों की आप्शन बाजार तक पहुँच के लिए और विस्तार का प्रस्ताव किया है। यह समग्र अंतिम व्युत्पन्न नीति का हिस्सा होगा। इसी तरह, हम विदेशी बाजार में आर्थिक जोखिमों से रक्षा के लिए कुछ पण्य कंपनियों के अनुरोध पर विचार कर रहे हैं जिसकी सिफारिश विदेशी मुद्रा बाजार पर बने तकनीकी समूह के द्वारा की गई थी।

अंत में, चूँकि यह संस्था विदेशी मुद्रा बाजार पेशेवरों की है, मैं व्यक्तियों और छोटे-छोटे उद्यमियों को कुशल तथा प्रतिस्पर्धी सेवाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर जोर देना चाहूँगी। वैश्वीकरण बढ़ने के साथ-साथ इस वर्ग के लोगों की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता भी बढ़ रही है। इस उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने उन संस्थाओं को, जो कुछ मानदंडों को पूरा करती हैं गैर व्यापारिक चालू खाता लेन-देनों के लिए सीमित अधिकृत व्यापारी (वर्ग II) के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है। वर्तमान एफएफएमसी, शहरी सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी ऐसे लाइसेंस के लिए पात्र हैं। व्यक्तियों और छोटे उद्यमों की विदेशी मुद्रा की प्रतिस्पर्धी और प्रभावी सेवा तक पर्याप्त पहुँच नहीं है। निर्यातकों, विशेष रूप से छोटे-छोटे निर्यातकों, और उनमें से बहुतों को मुद्रा एक्सपोजर के लिए हेजिंग पर बेहतर सलाह की जरूरत होती है। बैंकों को लघु और मझोले उद्यमों के लिए ऐसे उत्पादों पर विचार करना चाहिए जो विदेशी मुद्रा लेन-देनों की लेन-देन लागत को कम करें।